कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-0135-2767611

संख्या: 401/FP/UK/ROAD/144989/2021 देहरादून: दिनांक 8 अगस्त, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में राज्य योजना के अन्तर्गत टिरी चम्बा मोटर मार्ग के कन्या जूनियर हाई स्कूल चावलखेत होकर बुडोगी तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.7875 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 31.12.2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 31.12.2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 176/12–1 दिनांक 26.07.2022 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	It is found that the village Level committee (VLC) meeting proceedings of village Budogi is found submitted. State govt. is requested to submit/upload the same at para K in Part I online.	CF has mentioned on his letter no. 176/12-1 dated 26-07-2022 village Level Committee (VLC) Report has been uploaded at para K in part-I हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–01)
2	It is found that the Bar Chart uploaded online is incomplete. State govt. is requested to upload the complete copy of the bar chart as additional information document in part I.	CF has mentioned on his letter no. 176/12-1 dated 26-07-2022 bar chart has been uploaded as additional information document in part I. हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–02)
3	The proposed area is connected with two road and the proposal submitted in the name of missing link which is actually meant for connecting two existing road. It is requested to justify the need of the proposed road in detail as the tree proposed to be affected are 513 tree (100 in forest land and 413 in non-forest land including 105 Banj, trees), which is a huge number.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 176/12–1 दिनांक 26.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग नई टिहरी बुडोगी मार्ग को एन0एच0–707ए0 से जोडेगा जिसमें नई टिहरी बुडोगी मोटर मार्ग से 2.50 कि0मी0 लम्बाई का मोटर मार्ग ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा पूर्व में ही निर्मित है। इसके अतिरिक्त 3.00 कि0मी0 लम्बाई में मिसिंग लिंक मार्ग से श्रीकोट, साबली खाल एवं बुडोगी को चम्बा नई टिहरी एन0एच0 707 ए0 से जोडेगा जिससे ग्रामीणों को नई टिहरी एवं चम्बा आने जाने हेतु अतिरिक्त दूरी तय नहीं करनी पडेगी। समरेखण में बांज के कुल 105 पेड़ पुनरीक्षित समरेखण के अनुसार आ रहे हैं समरेखण में बदलवाव किया जाना सम्भव नहीं है। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 707 ए0 के कि0मी0 232.50 पर जुडेगा। द्वितीय समरेखण में 4 एच0पी0 बैण्ड एक दूसरे के नीचे नहीं पड़ते हैं, जिससे तेज ग्रेड आ रहे हैं तथा ग्राम सभा बुडोगी के सांवलीखाल एवं चवालखेत के साथ–साथ ग्राम बुडोगी के अधिकांश ग्रामवासी लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, इस समरेखण में आरक्षित वन भूमि 0.50 है0 है नाप भूमि 0.190 है तथा सिविल सोयम भूमि 0.19 है0 आ रही है। इस सर्वेक्षण

Rohit PD Backup

		से अभी ग्रामवासी सहमत नहीं है। समरेखण नं0 02 के अनुसार अधिक वन भूमि की आवश्यकता होने के कारण समरेखण नं0 02 को निरस्त किया गया तथा समरेखण नं0 01 को ही स्वीकार किया गया। (संलग्नक–03)
4	State govt. may submit the details of the alternative in details and upload the same at para D in part I.	CF has mentioned on his letter no. 176/12-1 dated 26-07-2022 details of the alternative aligment in details has been uploaded at para D in part-I हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–04)

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

06/08/22

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या 401 /FP/UK/ROAD/144989/2021तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 176/12–1 दिनांक 26.07.2022के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, चम्बा, टिहरी गढ़वाल।

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,